

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

बनाम

पाना

रामप्रताप आदि

दावा बाबत :- SUBJECT

मुकदमा नम्बर :- 42/2019

निर्णय दिनांक :- 21.10.2021

वादी की ओर से वकील श्री लालाधर अग्रवाल की व प्रतिवादी सं० 1 की ओर से वकील शुद्धा भारी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21-10-2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती शकुन्तला चौधरी के खाता सं० 25/25 के खसरा सं०

156 की 2-43/25 व खसरा सं० 170 की 5-32/50 व खसरा सं० 156 की 2-43/25 एवं प्रतिवादी सं० के नाम खातेदारी दर्ज है उक्त वीगिल वाद मुक्ति का अच्छी मेदी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव लेकर निम्न जाकर मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मसू रेंगदार नक्शा दिनांक 21/10/2021 को लक्ष्मीलपार (राजख) भादरा द्वारा पेश हुआ पक्ष पारानु को सुना गया वकीलवादी तथा प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमत दर्ज की है अतः लक्ष्मीलपार (राजख) भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को आधार पर पुनर्कारण का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से किया जाता है :-

- हिस्सा पाना पुत्र चन्द्रराम जालि-जा2 सां कोइला :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी के खाता सं० 25/25 के खसरा सं० 170 की 5-32/50 व खसरा सं० 156 की 2-43/25 पूर्व भाग कृषि अर्थात् मुताबिक नक्शा में रेंग आसमानी
- हिस्सा रामप्रताप पुत्र चन्द्रराम जालि जा2 सां कोइला :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी के खाता सं० 25/25 के खसरा सं० 156/5 की 2-43/25 पश्चिम भाग नक्शा में खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। किसी भी पैके के खर्च हो तो खर्च मुक्त होने पर ही राजख राजख खाते में अमल व रामप्रताप मिश्रा को यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 (सहायक कलक्टर)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
 प्र.गा. के संग भे 2021
 भादरा, जिला हनुमानगढ़
 शकुन्तला